तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट साबित होने से स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.03.2022 अपास्त किया जाता है। अपील अपीलान्ट न्यायालय तहसीलदार नीमकाथाना को इस आदेश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि अतिक्रमित रकबे की मौके पर जाकर रिपोर्ट मौका फर्द मय नजरी नक्शा जिसमें चारो दिशाओं का सही नाप जोख लिखा जाकर अपीलान्ट को सुनवाई हेतु प्रर्याप्त अवसर एवं प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन कर गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। पालना हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति॰ जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:06:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। रेस्पोडेन्ट कि ओर से रीडर नायब तहसीलदार नीमकाथाना उपस्थित। बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर 2774 रकबा 1.48 है0 में से 0.04 है0 भूमि पर मकान का निर्माण कर अतिक्रमण नहीं किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा गांव कि रजिंश व द्वैषता के कारण गलत रिपोर्ट पेश कि गई है। पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट पेश कि गई है। पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में अतिक्रमण कि गई भूमि का नाप भी नहीं लिखा है। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में जवाब व दस्तावेज जो पेश थे उनका निर्णय मे कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार जो निर्णय पारित किया गया है जो न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण पारित आदेश निरस्तनीय है। अपीलान्ट द्वारा कोई नया निर्माण नहीं किया गया है। जो मकान बना हुआ है जो लगभग 60–70 वर्ष पुराना है। तथा मकान में विद्युत कनेक्शन ले रखा है। अपीलान्ट के मकानों के चारो और आबादी बसी हुई है। वर्ष 2022 में संशोधन विधेयक 23.03.2022 में राजस्थान विधान सभा में पारित किया गया है। जिसमें यह भी स्पष्ट किया है कि नदी नालो व पानी के बहाव क्षेत्र व मन्दिर माफी की जमीन को छोड़कर अन्य बस्सी हुई कॉलोनी व आबादी में 31.12.2021 तक विकसित हो चुकी है उसमें पट्टे दिये जा सकेगें। सुप्रिम कोर्ट की तीन जजो की बैच ने लिमिटेशन एक्ट 1963 के अन्तर्गत व्याख्या की है कि निजी अचल सम्पति के मामले में 30 वर्ष है। चारागाह भूमि मे कदीम से जो मकान बनाये गए है जिनका दिनांक 28.01.2011 के निर्णय के आदेश अनुसार चारागाह में बसे व्यक्तियो के पट्टे बनाने सम्बन्धित राजस्थान सरकार व राजस्व मण्डल अजमेर की गाईड लाईन के अनुसार चारागाह में बसी आबादी [illegible] वासी मकानो को वहां से नहीं हटाकर वहां के पट्टे जारी किये जावेगें। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.03.2022 को अपास्त करवाया जावें।

रेस्पोडेन्ट द्वार अपील से सम्बंधित मूल पत्रावली पेश कि गई जो शामिल पत्रावली कि गई।

वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध रिकॅार्ड व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय कि पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि पटवारी हल्का टोडा द्वारा जो धारा 91 भू. राजस्व अधिनियम कि रिपोर्ट पेश की गई जिसमें भूमि खसरा नम्बर 2774 रकबा 1.48 है0 किस्म चारागाह मे अपीलान्ट द्वारा 0.04 है0 पर अतिक्रमण करना बताया है। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे नोटिस का जवाब व दस्तावेज पेश किये जो पत्रावली में शामिल है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में इनका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। रिपोर्ट जो पटवारी हल्का द्वारा पेश कि गई उसके अवलोकन से यह बात स्पष्ट है कि रिपोर्ट के पिछे जो नजरी नक्शा बनाया है इसमें माप नही लिख ररखा है एव ना ही अतिक्रमण कहा व कितने रकबे पर कर रखा है वो भी नजरी नक्शा में नहीं है। तथा ना ही चारों तरफ का नाप अंकित कर रखा है। इस प्रकार अपील अपीलान्ट ने जो तथ्य अपील में अंकित किये है वो साबित होते है। इससे यह भी प्रतीत होता है कि पटवारी हल्का द्वारा जो धारा 91 कि रिपोर्ट पेश कि गई है। जो मौके पर जाकर तैयार नहीं कि गई है। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट वास्तविक तथ्यों के विपरित पेश की गई है। जिसमें अतिक्रमण रकबे की दिशाओं का नाप जोख भी नहीं लिखा गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.03.2022 को जो निर्णय पारित किया गया है उससे पूर्व समस्त तथ्यों की जांच किये बिना ही किया गया है। जो न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा अपील में जो तथ्य अंकित किये है उनकी पुष्टि होती है। तथा प्रस्तुत अपील को बल मिलता है। इस आधार पर अपील अपीलान्ट साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
(सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:06:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner